संख्या 761 /उन्तीस(2)/17–2(117पे0)/2010

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 14 ~~अक्टूबर~~ 2017

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्टों के रखरखाव (ओ0 एण्ड एम0) कार्यो हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत मसूरी नगर की सीवरेज योजना के सीवरेज शोधन संयंत्रों के रखरखाव हेतु शासनादेश संख्या 418/उन्तीस(2)/12–2(40पे0)/2011 दिनांक 19.04.2012 द्वारा विद्युत/डीजल एवं सेन्टेज की राशि को कम करते हुए रखरखाव हेतु ₹ 333.20 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय प्रदान की गयी थी, के क्रम में आपके पत्र संख्या 293/नग0अनु0–जे0एन0एन0 यू0आर0एम0/13 दिनांक 23.05.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यू0आई0डी0एस0एस0 एम0टी0 कार्यक्रम में प्रस्तावित मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले 03 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्टों क्रमशः कुलडी, लण्ढौर उत्तर और लण्ढौर दक्षिण के रखरखाव (ओ0एण्ड एम0) हेतु ₹ 29.02 लाख (₹ उन्तीस लाख दो हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्राविधानित बजट में से व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii) निर्माण कार्यो को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए, जिस हेतु निर्माण कार्य की प्राथमिकता और समय सारणी इस प्रकार तैयार की जाए कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सकें और पूर्ण होने वाले कार्य शीघ्र पूर्ण होकर उपयोग में लाये जा सकें।

(vi) स्वीकृत की जा रही धनराशि का योजनावार आवंटन एवं व्यय योजना की अनुमोदित लागत की सीमा तक ही किया जाय। योजना की अनुमोदित लागत से अधिक आवंटन कदापि न किया जाय।

(vii) स्वीकृत की गयी धनराशि उसी योजना पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। शासनादेश संख्या 418/उन्तीस(2)/12–2(40पे0)/2011 दिनांक 19.04.2012 में निहित अन्य समस्त शर्ते यथावत् लागू रहेगी।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2215– जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–107–मल निकासी सेवाए–02–सीवरेज शोधन सयंत्र एवं सीवरेज योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव के लिए अनुदान–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या H 1710131233 दिनांक 30.10.2017 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या 610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 473/XXVII(2)/2017 दिनांक 30 अक्टूबर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

पृ0सं0 761 (1)/उन्तीस(2)/17–2(117पे0)/2010 तददिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
5. बजट निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।